कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक **631** / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 13.06.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
(2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
(4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र कमांक ए / 1382 जबलपुर दिनांक 12.06.2020

––00––

उपरोक्त विषयानुसार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्र कमांक क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 एवं ए / 1214 जबलपुर दिनांक 05.06.2020 व इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों व संशोधित परिपत्रों की प्रभावशीलता दिनांक 19.06.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अवधि में अधीनस्थ न्यायालयों में परिपत्र कमांक ए / 1214 जबलपुर दिनांक 05.06.2020 एवं अन्य जारी परिपत्रों में दिये गए निर्देशानुसार ही पूर्ववत् कार्य संपादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस न्यायिक जिला स्थापना के कार्यालयीन परिपत्र कमांक 569 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 30.05.2020 के द्वारा न्यायालयीन कार्य निष्पादन हेतु तथा विविध आदेश कमांक क्यू–3 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 30.05.2020 द्वारा न्यायालयों के समय, शासकीय सेवकों की उपस्थिति संबंधी विस्तृत आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त परिपत्र एवं विविध आदेश में दिये गए दिशा निर्देशों को ही आगामी अवधि 15.06.2020 से 19.06.2020 तक प्रभावशील होंगे। इस प्रकार यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 19.06.2020 तक परिपत्र कमांक क्यू–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 व इसके पूर्व एवं पश्चात् जारी अन्य परिपत्रों में दिये गए निर्देशों के आलोक में ही न्यायालयीन कार्य संपादित किया जावेगा।

पूर्व के परिपत्र की भांति यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि जिले की कोई सिविल न्यायालय परिसर का क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और इस न्यायालय के अतिआवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित

न्यायाधीश द्वारा अपने आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से संपादित किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का निवास कन्टेन्मेंट क्षेत्र में आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में तब तक उपस्थित नहीं होंगे जब तक कि वह क्षेत्र नॉन कन्टेन्मेंट जोन घोषित नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस स्थापना पर कार्यरत् कोई भी शासकीय सेवक जिन्हें पीठासीन/प्रभारी अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी अथवा जिला नाजिर अर्द्धदिवसीय आवश्यक कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिए सूचित करते हैं, ऐसे शासकीय सेवक अपने अर्द्धदिवसीय कार्य अवधि प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर 15 मिनट पश्चात् के अलावा अतिरिक्त समय न्यायालय परिसर में उपस्थित नहीं रह सकेंगे और ना ही अपने कार्यस्थल से अनावश्यक अन्य किसी शासकीय सेवक के कार्यस्थल पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक संपर्क करेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का परिपत्र कमांक ए/1382 जबलपुर दिनांक 12.06.2020

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक **632**/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 06.06.2020

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

(2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

(3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)

(6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

(7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

(8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(9) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्र कमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(10) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(10) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

729
12/6/20

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

CIRCULAR

No. A/1382 Jabalpur, dated 12 June, 2020

Sub: Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25.03.2020, A/1214 dated 5th June, 2020 & other circulars and clarifications issued in this regard.

Ref: Circular No. A/1214 dated 5th June, 2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed).

Earlier in pursuance to the public declaration by Hon'ble The Prime Minister of India on 24th March 2020, the lock down started and from time to time, it was extended. In this regard, previously the Circular No. Q-5 dated 25.03.2020 was issued and only urgent work in subordinate courts was started thereafter through various orders, circulars, clarifications restricted functioning of the High Court and its Registry as well as of the Subordinate Courts was started from 4th May, 2020 and that is continuing till 13th June, 2020

To avoid any possibility of spreading Corona cases in or all surrounding areas of court campus/residence of Judicial Officers, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct as under:-

> The limited functioning of the High Court as well as Subordinate Courts as mandated by circular dated A/1214 dated 5th June, 2020 will continue from 15th June, 2020 till 19th June, 2020 except Subordinate Courts in district Indore, Bhopal & Ujjain where only urgent matters shall be heard.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

12/6/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

A
B
13/06/20